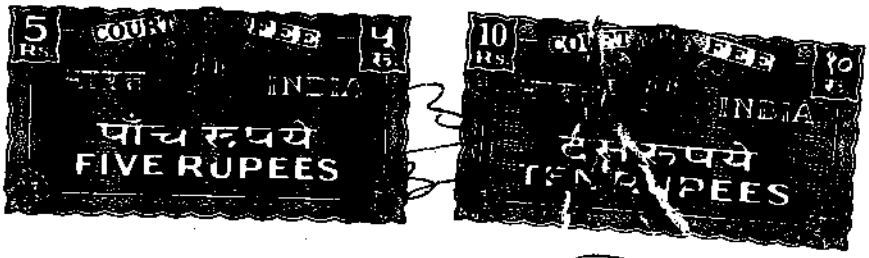

FIVE RUPEES पाँच रुपये COURT FEE INDIA

TEN RUPEES दस रुपये COURT FEE INDIA

76

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2007 अपील

अपील 458-II/07

(१) वीरेन्द्रकुमार पुत्र श्री नर्मदाप्रसाद
(२) धीरेन्द्रकुमार पुत्र श्री नर्मदाप्रसाद
निवासीगण मुहतरा, शांति नगर, सिंधी धर्मशाला, तहसील व जिला जबलपुर, म०प्र० --- अपीलान्टस

श्री ... द्वारा आज दि. 13.3.07 को प्रस्तुत।
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

(१) कलेक्टर महोदय, जिला जबलपुर, मप्र
(२) तहसीलदार महोदय, तहसील सिंहोरा, जिला जबलपुर, म०प्र
(३) श्री बुद्धलाल पुत्र श्री सतउराम यादव निवासी वार्ड क्रमांक ३ सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर, म०प्र -- रिस्पान्डेन्टस

9/3/06

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, जबलपुरसंभाग दिनांक २०-१०-२००६ अन्तर्गत धारा ४४ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक ६८७/बी-१२१/२००४-२००५

श्रीमान,

अपील का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं हैं।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र व्दारा अभिलिखित भूमिस्वामी ...

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 458/दो/2007 जिला–जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5.8.16 | यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 687/बी–121/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2006 के विरूद्ध मप्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि बुद्धूलाल द्वारा तहसीलदार सिहोरा के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मुहतरा में स्थित भूमि खसरा नं. 273, 276, 277 कुल रकवा 3.48 है0 पट्टे की भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज है। तहसीलदार द्वारा इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के माध्यम से कलेक्टर जबलपुर की ओर भेजा गया जिसपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा आवेदकगण से भूमि का कब्जा वापिस लेकर भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 20.10.2006 से निरस्त की गयी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी।<br>3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन् किया गया।<br>4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अभिलिखित भूमि स्वामी से क्रय की है ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा 165 (7)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते। | |

तथा भू–राजस्व संहिता की धारा में हुये संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है. ऐसी स्थिति में कलेक्टर न्यायालय से अनुमति लिये जाने का प्रश्न ही नहीं था। विवादित भूमि का पट्टा भूमि स्वामी के हक में प्रदान किया गया है जब कानून प्रभाव से वह विवादित भूमि का अभिलिखित भूमि स्वामी है ऐसी स्थिति में 165 (7) (ख) एवं धारा 182 (2) (4) के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार पारित किया है वह विधिवत् एवं सकारण आदेश है, अतः ऐसे आदेश को स्थिर रखा जाना चाहिये।

अनावेदक क्रमांक 3 प्रकरण में पूर्व से अनुपस्थित है अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

6– उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार सिहोरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। तत्पश्चात् कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2005 पारित किया है, इस आदेश में उल्लेख किया गया है। कि पट्टे की भूमि का विक्रय किया गया है, जिससे पट्टे की शर्तो का उल्लघंन हुआ है, ऐसी स्थिति में क्रेता के पक्ष में किया गया नामान्तरण शून्यवत् होने से निरस्त किया है। आवेदकगण द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी है तत्पश्चात् उनका विधिवत् नामान्तरण तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है। विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण के निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा 2014 आर.एन. 196 में निर्धारित किया है, कि 165 (7)(ख) तथा 158 (3) का लागू होना

पट्टेदार वह संहिता में वर्ष 1980 तथा 28.10.1992 के संशोधन के पूर्व भूमि स्वामी हो गया ऐसी भूमि के विक्रय के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है धारा 165 (7) (ख) को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया उपबंध आकर्षित नहीं होते। ऐसी भूमि के क्रेता का नामान्तरण अपास्त नहीं किया जा सकता। यही सिद्धांत 2013 आर.एन 8 उच्च न्या. 2002 आर.एन. 250 उच्च न्या. एवं 2007 आर.एन. 208 उच्च न्या. द्वारा निर्धारित किया गया है। इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 121/बी–121/2004–05 पारित आदेश दिनांक 23.08.2005 एवं अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2006 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम पूर्वत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।

सदस्य